विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00–17/2024

महाराजा स्टोन क्रेशर, — **आवेदक**
ग्राम – प्रेमपुरा,
जिला – टीकमगढ़ (म0प्र0) – 472001

विरूद्ध

अधीक्षण यंत्री (स./सं.), — **अनावेदक**
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
वृत टीकमगढ़, जिला – टीकमगढ़ (म.प्र.) – 471001

आदेश

(दिनाँक 24.02.2025 को पारित)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया उपस्थित हुए ।
अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री नवीन कुमार कार्यपालन अभियंता (सं/सं) वृत्त टीकमगढ़ एवं श्री नितिन बाथम, सहायक यंत्री (सं/सं) वृत्त, टीकमगढ़ (म0प्र0) उपस्थित हुए ।

01. आवेदक – मेसर्स महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम – प्रेमपुरा, मवई, जिला – टीकमगढ़ (म0प्र0) में एक उच्चदाब उपभोक्ता है, जिसका सर्विस क्रमांक एच 6054263956 है एवं कान्ट्रेक्ट डिमाण्ड 300 के. व्ही.ए. है । उक्त संयोजन को अनावेदक द्वारा 33 के.वी. पर विद्युत सप्लाई स्टोन क्रेशर हेतु टैरिफ श्रेणी एच.वी. 3.1 के अंतर्गत प्रदाय की जा रही है ।

02. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसार उसके उच्चदाब विद्युत मीटर में माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 की अवधि में अधिकतम मांग (MD) उसके स्टोन क्रेशर में बिना उपयोग के पश्चात् भी संविदा मांग (CD) से कहीं अधिक गलत रिकार्ड हुई है । आवेदक द्वारा उक्त अवधि में अनावेदक से उसके विद्युत देयक को स्वीकृत भार (संविदा मांग) के अनुसार प्रचलित टैरिफ दर अनुसार संशोधित करने के निवेदन पर अनावेदक द्वारा की गई कार्यवाही से आवेदक असंतुष्ट है ।

03. उपरोक्त कारणों से आवेदक द्वारा अपनी शिकायत वृत्त/जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 14 जुलाई, 2024 को प्रस्तुत की गई । उक्त शिकायत को वृत्त/जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/2024 पर दर्ज कर आदेश पारित किया गया जो कि आवेदक को पत्र क्रमांक ECGRF/329 दिनांक 10.09.2024 द्वारा भेजा गया । वृत्त/जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित आदेश अनुसार इस प्रकरण में विषय–वस्तु एवं फोरम का निर्णय निम्नानुसार है:–

''5. वादी के द्वारा की गयी शिकायत कि, मेसर्स महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम प्रेमपुरा, मवई जिला टीकमगढ़ में स्थापित उच्चदाब कनेक्शन क्र0 H6054263956 के विद्युत मीटर में बिना उपयोग के एमडी (अधिकतम मांग) दर्ज हुयी है ।

6. दिनांक 14.08.2024 को वादी को आमंत्रित कर आयोजित बैठक में सुनवाई की गयी जिसमें वादी के द्वारा शिकायत के संबंधित 06 नं. बिन्दुओं को लिखित में प्रस्तुत कर, जानकारी चाही गयी थी ।

7. वादी के द्वारा चाही गयी जानकारी एवं साक्ष्यों को फोरम के पत्र क्र. 232 दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से प्रेषित किया गया तथा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही/सुनवाई हेतु दिनांक 22.08.2024 को नियत कर दिनांक 16.08.2024 को वादी, प्रतिवादी एवं फोरम के माननीय सदस्यों को बैठक में सूचित किया गया ।

8. दिनांक 22.08.2024 को फोरम की आयोजित बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर वादी की शिकायत से अवगत कराया गया । दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से वादी को प्रेषित की गयी जानकारी से माननीय सदस्यों के द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी ।

9. दिनांक 22.08.2024 को आयोजित फोरम की बैठक में वादी के उपस्थित नहीं हुए एवं न ही अन्य कोई सूचना फोरम के समक्ष प्रस्तुत करायी गयी जिस कारण फोरम के माननीय सदस्यों के द्वारा शिकायत में की गयी जांच एवं उपलब्ध दस्तावेजों एवं एमआरडी रिपोर्ट को सही करार देते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कनेक्शन के विद्युत मीटर में एमडी सही दर्ज की गयी है एवं माननीय सदस्यों के द्वारा वादी की शिकायत प्रकरण को समाप्त करने हेतु सहमति प्रदान की गयी ।

10. अतः वादी के उपस्थित न होने एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वादी को प्रदाय की गयी जानकारी के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि वादी की शिकायत नस्तीबद्ध करने योग्य है, जिसे इस आदेश पत्र दिनांक के माध्यम से समाप्त किया जाता है।''

04. वृत्त/जिला स्तरीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ के उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) एवं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत लोकपाल के समक्ष दिनांक 18.10.2024 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

05. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2021 की कण्डिका 3.36, 3.37 एवं 3.38 के प्रावधानों अनुसार प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्रकरण क्र. एल00–17/2024 पर दर्ज कर सुनवाई दिनांक 21.11.2024 को नियत की गई एवं वृत्त/जिल स्तरीय फोरम से प्रकरण की मूल नस्ती मंगवाई गई ।

06. प्रकरण में सुनवाईयों का संक्षिप्त विवरण :–

(क) **सुनवाई दिनांक 20.11.2024** को आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया उपस्थित हुए। अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री नवीन कुमार, कार्यपालन अभियंता (सं/सं) वृत्त टीकमगढ़ के साथ श्री नितिन बाथम सहायक यंत्री (सं/सं) वृत्त टीकमगढ़ (म0प्र0) उपस्थित हुए । सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि श्री नवीन कुमार, कार्यपालन अभियंता को निम्न जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया :–

i. इस प्रकरण में अनावेदक अपना प्रत्युत्तर उसकी एक प्रति आवेदक को उपलब्ध कराते हुए दिनाँक 30.11.2024 तक प्रस्तुत करें।

ii. चूकि अनावेदक प्रतिनिधि जिला स्तरीय विद्युत शिकायत निवारण फोरम के सदस्य भी हैं इसलिए इस प्रकरण से संबंधित फोरम की मूल नस्ती अगली सुनवाई को या उससे पूर्व प्रस्तुत करें।

iii. सुनवाई में जिन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया ,जैसे आवेदक का मीटर बदला गया या नहीं एवं मीटर के स्थल परीक्षण रिपोर्ट/यदि हो, तो उक्त रिपार्ट को अपने प्रतिउत्तर के साथ प्रस्तुत करें।

iv. उपभोक्ता के विगत दो (2) वर्षों में मीटर में दर्ज माहवारी एम.डी एवं खपत का विवरण तालिका में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त निर्देश के साथ उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनांक 05.12.2024** को नियत की गई ।

(ख) **सुनवाई दिनांक 04.12.2024** को अनावेदक द्वारा सायं लगभग 5.40 बजे ई–मेल से दिनांक 05.12.2024 की सुनवाई में कार्यालयीन व्यस्तता के कारण उपस्थित होने में असमर्थता बताई गई। तथापि, इस दिनांक तक अनावेदक द्वारा अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(ग) **दिनांक 05.12.2024** की सुनवाई में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया उपस्थित हुए । अनावेदक कम्पनी की ओर से न ही कोई उपस्थित हुआ और न ही कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए एवं प्रकरण को निर्धारित समय–सीमा में निराकृत करने हेतु अगली सुनवाई दिनांक 13 दिसम्बर, 2024 को वृत्त/जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, टीकमगढ़ में नियत की गई एवं उभयपक्षों को तदानुसार सूचित किया गया ।

(घ) **दिनांक 13.12.2024** को सुनवाई जिला स्तरीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, कैम्प कार्यालय, टीकमगढ़ (म0प्र0) में की गई ।
आवेदक सहित उनके अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया उपस्थित हुए ।
अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री नवीन कुमार, कार्यपालन अभियंता (सं/सं) वृत्त टीकमगढ़ (म0प्र0) उपस्थित हुए ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक प्रतिनिधि श्री नवीन कुमार, कार्यपालन अभियंता द्वारा प्रकरण से संबंधित प्रत्युत्तर अपने पत्र क्रमांक 728 दिनांक 11.12.2024 द्वारा प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया एवं प्रत्युत्तर की एक प्रति आवेदक के अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराई गई ।
उक्त प्रत्युत्तर पर आवेदक द्वारा अपना लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा गया, जिसे स्वीकार कर समय दिया गया । उक्त सुनवाई के दौरान यह संज्ञान में आया कि उपभोक्ता का मीटर दिनांक 30 अगस्त, 2024 को बदल दिया गया है एवं उसका परीक्षण अनावेदक की सागर स्थित प्रयोगशाला में पूर्व में किया जा चुका है ।

आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त परीक्षण परिणाम का विरोध करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में प्रावधान अनुसार बदले गए पुराने मीटर का परीक्षण तृतीय पक्षकार अभिकरण केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, गोविन्दपुरा, भोपाल (C.P.R.I.) की प्रयोगशाला में कराने हेतु निवेदन किया गया । आवेदक को इस हेतु अपना आवेदन नियमानुसार अनावेदक को प्रस्तुत करने हेतु कहा गया ।

उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनांक 03 जनवरी, 2025** को विद्युत लोकपाल कार्यालय, भोपाल में नियत की गयी ।

(ड.) **सुनवाई दिनांक 03 जनवरी, 2025** की सुनवाई से एक दिवस पूर्व दिनांक 02.01.2025 को आवेदक के अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस कार्यालय में एक लिखित प्रतिवेदन उनके पत्र दिनांक 01.01.2025 द्वारा प्रस्तुत कर यह लेख किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 13.12.2024 को ही अनावेदक (अधीक्षण यंत्री [संचा./संधा.] वृत्त

टीकमगढ) के समक्ष पुराने मीटर का परीक्षण तृतीय पक्षकार अभिकरण (सी.पी.आर.आई.) की प्रयोगशाला में कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, परन्तु अभी तक मीटर परीक्षण नहीं करवाया गया है, जिसके कारण आवेदक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं कर सका है । उपरोक्त कारणों से आवेदक द्वारा प्रकरण में सुनवाई दिनांक 03.01.2025 के स्थान पर आगामी तिथि नियत करने का निवेदन किया गया ।

आवेदक के उक्त प्रतिवेदन पर विचार कर प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनांक 20 जनवरी, 2025** को नियत की गयी ।

(च) **सुनवाई दिनांक 20 जनवरी, 2025** में आवेदक एवं अनावेदक अनुपस्थित रहे एवं न ही दोनों पक्षों द्वारा अनुपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की लिखित सूचना दी गई ।

उभयपक्षों की अनुपस्थिति एवं प्रकरण के निराकरण में हो रहे विलंब को देखते हुए अगली सुनवाई दिनांक 23.01.2025 नियत का उभयपक्षों को नोटिस जारी कर उनको दूरभाष द्वारा भी सूचित कराया गया ।

(छ) **सुनवाई दिनांक 23 जनवरी, 2025** को आवेदक की ओर से अधिवक्ता के प्रतिनिधि श्री मुकेश कुमार जैन उपस्थित हुए । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

सुनवाई के दौरान आवेदक प्रतिनिधि ने अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिनांक 23.01.2025 प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

उक्त प्रतिवेदन में आवेदक द्वारा पुनः यह कथन किया गया, कि वादग्रस्त मीटर के परीक्षण हेतु आवेदक द्वारा दिनांक 13.12.2024 को आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् भी आज दिनांक तक न तो अनावेदक द्वारा मीटर परीक्षण करवाया गया और न ही परीक्षण तिथि से आवेदक को अवगत कराया गया है । उपरोक्त स्थिति से अवगत कराते हुए आवेदक द्वारा अपना रिज्वाईण्डर प्रस्तुत करने हेतु पुनः आगामी तिथि नियत करवाने अथवा मीटर त्रुटिपूर्ण मानकर तद्नुसार बिलिंग करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई ।

चूंकि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अनावेदक को नहीं दी गई थी, इसलिए आवेदक को यह निर्देशित किया गया कि उक्त प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अनावेदक को भी अविलंब उपलब्ध कराई जाए ।

प्रकरण में उपरोक्त स्थिति एवं बिना किसी पूर्व सूचना के अनावेदक की सुनवाईयों में अनुपस्थिति के कारण इस प्रकरण के निराकरण में हो रहे विलंब को देखते हुए उभयपक्षों को लिखित प्रतिवेदन एवं रिज्वाईण्डर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देते हुए सुनवाई **दिनांक 10 फरवरी, 2025** को नियत की गई । उक्त सुनवाई पर दैनिक आदेश दिनांक 23.01.2025 जारी कर उभयपक्षों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु भेजा गया ।

(ज) प्रकरण में अगली **सुनवाई दिनांक 10.02.2025** में आवेदक के अधिवक्ता श्री निर्मल लोहिया उपस्थित हुए ।

अनावेदक की ओर से श्री भूपेन्द्र सिंह यादव, ऑफिस असिस्टेंट तथा श्री हरिकृष्ण शर्मा, एल0 ए0 (लाईन परिचारक) उपस्थित हुए ।

उपरोक्त दैनिक आदेश दिनांक 23.01.2025 के परिपालन में अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा पत्र क्रमांक 4622 दिनांक 31.01.2025 प्रस्तुत कर निम्न कथन किया गया :–

"(i) विद्युत उपभोक्ता महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम – प्रेमपुरा से एच.टी. मीटर क्रमांक X0003177 का परीक्षण सीपीआरआई भोपाल में कराने हेतु संदर्भित आवेदन क्रमांक 01 प्राप्त हुआ था ।

उक्त संदर्भित आवेदन प्राप्त होने के उपरांत इस कार्यालय से केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान भोपाल से पत्राचार किया गया जिसके पश्चात् अनुसंधान संस्थान के द्वारा मीटर परीक्षण हेतु दिनांक 09.01.2025 नियत करते हुए परीक्षण शुल्क की राशि की जानकारी संदर्भित ई–मेल संदेश क्र0 02 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी थी ।

(ii) मीटर परीक्षण की उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम प्रेमपुरा का परीक्षण शुल्क दिनांक 08.01.2025 तक जमा करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्र0 03 के द्वारा लेख किया गया जिसकी सूचना पोस्ट/ई–मेल/वाट्सएम एवं दूरभाष के माध्यम से उपभोक्ता को दी गयी थी ।

(iii) दिनांक 08.01.2025 तक परीक्षण शुल्क जमा न होने की स्थिति में महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम – प्रेमपुरा को संदर्भित पत्र क्र0 04 के माध्यम से पुनः लेख कर स्मरण कराया गया जिसकी सूचना ई–मेल एवं पोस्ट के माध्यम से उपभोक्ता को दी गयी परन्तु उपभोक्ता के द्वारा डाक प्राप्त न करने के कारण पोस्ट द्वारा भेजी गयी डाक इस कार्यालय में पोस्ट के माध्यम से ही वापिस प्राप्त हुई है।

अतः उपभोक्ता के द्वारा मीटर परीक्षण की राशि जमा करने के उपरांत ही मीटर परीक्षण कराने की आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।"

उक्त पत्र के साथ अनावेदक ने आवेदक (मेसर्स महाराजा स्टोन क्रेशर, ग्राम – प्रेमपुरा) को सी.पी.आर.आई., भोपाल में मीटर के परीक्षण कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु लिखे गये पत्र दिनांक 02.01.2025 एवं 08.01.2025 की प्रतियां भी संलग्न की ।

इसी सुनवाई के दौरान आवेदक अधिवक्ता द्वारा उनका वह पत्र दिनांक 07.02.02024 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं.लि. वृत्त टीकमगढ़ को आवेदक द्वारा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भोपाल (C.P.R.I.) को मीटर परीक्षण शुल्क रू. 11,000 जमा कर उसकी पावती अनावेदक को भेजी गई ।

इसके अतिरिक्त आवेदक ने अनावेदक द्वारा चाही गई राशि रू. 10,990 की पावती भी प्रस्तुत की, जोकि अनावेदक कंपनी के अधिकारी के एक दिन का वेतन के साथ TA/DA की थी। उपरोक्त दस्तावेजों को रिकार्ड में लेते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर अंतिम आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

07. प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं उभयपक्षों (आवेदक/अनावेदक) के कथनानुसार इस प्रकरण में पर्यवेक्षण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

अनावेदक द्वारा अपने लिखित कथन द्वारा यह बताया गया कि आवेदक/उपभोक्ता के उच्चदाब संयोजन क्र. H6054263956 के एच.टी. मीटर क्र0 X0003177 में सही समय प्रदर्शित न होने के कारण दिनांक 30.08.2024 को कार्यापालन अभियंता (मीटर परीक्षण) टीम सागर द्वारा नवीन मीटर बदला/स्थापित किया गया, जिसकी स्थल निरीक्षण रिपोर्ट एवं विस्तृत विवरण भी उक्त पत्र के साथ संलग्न किया गया । दिनांक 12.02.2024 को उक्त एच.टी. मीटर क्रमांक X0003177 की रूटीन मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी की गई थी जिसमें मीटर क्र. X0003177 सही कार्य करते पाया गया ।

निर्देशानुसार, अनावेदक द्वारा उपभोक्ता के उच्चदाब संयोजन क्र. H6054263956 के विगत दो वर्षों (माह दिसम्बर–2022 से नवम्बर–2024) के दौरान मीटर में दर्ज एम.डी. एवं खपत का माहवारी विवरण भी तालिका में प्रस्तुत किया गया ।

08. अनावेदक ने अपने प्रत्युत्तर के साथ मीटर परीक्षण संभाग, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, सागर द्वारा 30.08.2024 को आवेदक के मीटर बदलने से संबंधित सारे विवरण के साथ पुराने मीटर एवं नवीन मीटर दोनों के मीटरिंग डाटा के साथ–साथ सीलों का पूर्ण विवरण भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया ।

09. मीटर परीक्षण संभाग के उक्त पत्र के साथ ''डिटेल्ड प्रोफार्मा फॉर एच0टी0 कनेक्शन चैंकिंग'' एवं मीटर पुस्तिका को भी संलग्न किया गया, जिसमें बदले गए मीटर की स्थिति एवं परीक्षण परिणाम दर्शाया गया है। उपरोक्त परीक्षण रिपोर्ट अनुसार पुराना मीटर ठीक कार्य करता पाया गया । निर्देशानुसार अनावेदक द्वारा आवेदक के विद्युत संयोजन में दिसम्बर 2022 से नवम्बर 2024 तक प्रत्येक माह में दर्ज एम0डी0 (अधिकतम मांग) एवं खपत का विवरण के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक के संयोजन में स्थापित मीटर में अधिकतम मांग (एम0डी0) माह दिसम्बर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023, नवम्बर 2023 एवं दिसम्बर 2023 के साथ–साथ जनवरी, 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक उसकी संविदा मांग 300 के.व्ही.ए. के ऊपर 303 के.व्ही.ए. से लेकर 407 के.व्ही.ए. तक दर्ज हुई है । तथापि, मई, 2023 से अक्टूबर 2023 में वास्तविक उच्चतम मांग (एम0डी0) 100 के.व्ही.ए. से भी कम दर्ज हुई है ।

10. प्रकरण में सुनवाई के दौरान उभयपक्षों के मौखिक एवं लिखित कथनों के साथ–साथ उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि आवेदक उसके विवादित मीटर का अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी की मीटर परीक्षण प्रयोगशाला, सागर द्वारा परीक्षण से असहमत है एवं मीटर की कार्य–प्रणाली को सही नहीं मानते हुए विद्युत देयकों में की गई अतिरिक्त बिलिंग पुनरीक्षित कराना चाहता है । विद्युत प्रदाय संहिता में प्रावधान अनुसार आवेदक अपने पुराने मीटर का परीक्षण तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरण, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, गोविन्दपुरा, भोपाल (सी0पी0आर0आई0) से कराना चाहता है । जिस हेतु उसके द्वारा अनावेदक को अपना आवेदन दिनांक 13.12.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है । अनावेदक द्वारा पत्र दिनांक 02.01.2025 एवं 08.01.2025 को तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरण (सी0पी0आर0आई0) से परीक्षण कराने हेतु शुल्क की राशि जमा करने हेतु आवेदक को लिखा गया । आवेदक द्वारा उक्त राशि दिनांक 05.02.2025 को सी0पी0आर0आई0 भोपाल को एवं 06.02.2025 को अनावेदक को डिजीटल माध्यम से जमा की जा चुकी है । तत्पश्चात् दोनों पक्षों द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत पत्राचार अनुसार आवेदक/उपभोक्ता के विद्युत संयोजन में पूर्व में स्थापित एच.टी. मीटर क्रमांक X0003177 का परीक्षण आवेदक द्वारा प्रस्तावित केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान गोविन्दपुरा, भोपाल में दिनांक 21.02.2025 को होना निश्चित हुआ है ।

11. म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 में प्रावधान अनुसार तृतीय पक्ष परीक्षण अभिकरण द्वारा आवेदक के उपरोक्त मीटर के परीक्षण परिणाम आवेदक (उपभोक्ता) एवं अनावेदक (वितरण अनुज्ञप्तिधारी) पर बाध्यकारी होंगे ।

12. उक्त निर्णय एवं निर्देश के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

13. आदेश की प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की प्रति वृत्त/जिला स्तरीय फोरम को भी प्रेषित हो ।

(गजेन्द्र तिवारी)
विद्युत लोकपाल